श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान

23, पार्क रोड, इंदौर

शासी निकाय की 121वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक दिनांक	:	15 / 06 / 2016
दिन	:	बुधवार
समय	:	प्रातः 11.00 बजे
स्थान	:	कक्ष क्र. 216, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Scanned by CamScanner

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर

संस्थान के शासी निकाय की 121वीं बैठक (असाधारण) दिनांक 15/06/2016 का कार्यवृत्त

संस्थान के शासी निकाय की 121वीं बैठक बुधवार, दिनांक 15/06/2016 को प्रातः 11.00 बजे से कक्ष क्र.216, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में माननीय श्री उमाशंकर जी गुप्ता, मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,म0प्र0 शासन एवं पदेन अध्यक्ष, शासी निकाय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । अध्यक्ष के अतिरिक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1. प्रमुख सचिव,
   म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि
   (प्रो. आशीष डोंगरे संचालक तकनीकी शिक्षा, म.प्र.) — सदस्य

2. प्रो. आशीष डोंगरे,
   संचालक
   संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म0प्र0,
   सतपुड़ा भवन, चतुर्थ मंजिल,भोपाल — सदस्य

3. डॉ. एम.एल. जैन,
   प्रोफेसर,
   मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग,
   श्री जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर — सदस्य

4. प्रो. मिलिन्द दांडेकर,
   एसोसिएट प्रोफेसर,
   इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग,
   श्री जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर — सदस्य

5. श्री राजेश धाकड,
   असिस्टेंट प्रोफेसर,
   कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग
   श्री जी.एस. आय.टी.एस.,इंदौर — सदस्य

6. प्रो. राकेश सक्सेना,
   निदेशक,
   श्री जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर — सदस्य सचिव

निम्न सदस्यों को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष द्वारा Leave of absence प्रदान की गई ।

1. प्रो. पियुष त्रिवेदी,
   कुलपति,
   राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
   गांधी नगर,एयरपोर्ट बायपास रोड, भोपाल — सदस्य

Scanned by CamScanner

2. वित्त सचिव, वित्त विभाग, — सदस्य
मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल

3. क्षेत्रीय अधिकारी, — सदस्य
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
श्यामला हिल्स, टैगोर छात्रावास,भोपाल

4. जस्टिस श्री पी.डी. मुल्ये, — सदस्य
सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
397 एडी, स्कीम नं. 74, सी–20, इंदौर

5. श्री एस.एन. कोहर्ला, — सदस्य
15/1, साउथ तुकोगंज,इंदौर

7. डॉ. दीपक बी. फाटक, — सदस्य
प्रोफेसर, कम्प्युटर साईंस विभाग,
आई.आई.टी.,पवई,मुम्बई

8. श्री नन्दकुमार सेकसरिया — सदस्य
सेकसरिया चेम्बर्स,
139, नागिनदास मास्टर रोड, मुंबई

9. श्री अभयसिंह भरकतिया, — सदस्य
यशवंत निवास कॉलोनी,
यशवंत क्लब के पास, इंदौर

Scanned by CamScanner

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान

शासी निकाय की 121वीं बैठक में प्रस्तुत किये गये मदों की सूची

मद क्रमांक	मद विवरण
मद क्र. 121–1:	संस्थान की शासी निकाय का दिनांक 23/12/2015 से आगामी तीन वर्ष के लिए गठन ।
मद क्र. 121–2:	संस्थान की प्रबन्धन समिति, वित्त समिति एवं परिवेदना समिति के पुर्नगठन का अनुमोदन ।
मद क्र. 121–3:	संस्थान के शासी निकाय की 119वीं बैठक दिनांक 25/04/2015 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
मद क्र. 121–4:	संस्थान के शासी निकाय की 119वीं बैठक दिनांक 25/04/2015 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।
मद क्र. 121–5:	संस्थान के शासी निकाय की 120वीं असाधारण बैठक दिनांक 01/10/2015 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
मद क्र. 121–6:	संस्थान के शासी निकाय की 120वां असाधारण बैठक दिनांक 01/10/2015 के लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।
मद क्र. 121–7:	डॉ. राकेश सक्सेना द्वारा संस्थान के नये निदेशक का पदभार ग्रहण करने की सूचना ।
मद क्र. 121–8:	संस्थान निदेशक डॉ. राकेश सक्सेन को प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के पद पर लियन प्रदान करने विषयक ।
मद क्र. 121–09:	संस्थान में सप्ताह में पांच कार्यदिवसीय प्रणाली लागू करने बाबत ।
मद क्र 121–10:	संस्थान के शिक्षकों को छठवे वेतन आयोग के अन्तर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना (Career Advancement Scheme) का लाभ देने बाबत ।
मद क्र. 121–11:	संस्थान को कर्मचारियों के लिए प्रचलित समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में ।
मद क्र. 121–12:	संस्थान की वित्त समिति की 64वीं बैठक दिनांक 01/04/2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
मद क्र. 121–13:	वित्त समिति की 63वीं बैठक में अनुमोनित बजट के अनुसार किये गये कार्यो के लंबित देयकों का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

(5)

Scanned by CamScanner

मद क 121–14	विभागाध्यक्ष एवं डीन [illegible] के कार्यकाल एव नियुक्ति के सम्बन्ध मे ।
मद क. 121–15	संस्थान केम्पस की सुरक्षा, गार्डनिग, सफाई आदि कीदेखरेख हेतु सेवानिवृत्त मिलीटरी पर्सन को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त करने बाबत ।
मद क्र. 121–16:	डॉ. (श्रीमती) शिल्पा त्रिपाठी को अनुकम्पा नियुक्ति देने बाबत।
मद क. 121–17:	संस्थान में अपशिष्ट निपटान हेतु एक हाईड्रोलिक गार्बेज लाईट व्हीकल क्रय करने बाबत ।
मद क्र.121–18:	संस्थान के छात्रों के लिए दुर्घटना मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करने के सम्बन्ध में
मद क. 121–19:	अध्यक्ष की अनुमति से रखे अन्य मद ।

संस्थान के शासी निकाय की संरचना के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक उद्योग प्रतिनिधि नामित नही जाने एवं उच्च शिक्षा अनुदान आयाग, नई दिल्ली द्वारा एक सह योजित सदस्य नामित नहीं किये जाने के कारण वर्तमान में शासी निकाय में कुल 15 सदस्यों में से 7 सदस्य (प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालक तकनीकी शिक्षा को प्रतिनिधि नामित किया गया था) उपस्थित थे । तदनुसार कोरम (कोरम के लिए कुल सदस्यों में से एक–तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है) पूरा होने पर नियमानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

बैठक में प्रस्तुत मदों में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

मद क्र. 121–1: संस्थान की शासी निकाय का दिनांक 28/12/2015 से आगामी तीन वर्ष के लिए गठन ।

संस्थान की शासी निकाय की संरचना के अनुसार दिनांक 28/12/2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त नामांकन (पदेन सदस्यों को छोड़कर) के आधार पर निम्नानुसार नवगठित शासी निकाय का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

क्र.	शासी निकाय की संरचना	शा.नि. में दि. 28/12/2015 से आगामी तीन वर्ष के लिए नामित सदस्य
01	माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	पदेन अध्यक्ष श्री उमाशंकर गुप्ता
02	प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	पदेन सदस्य श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन
03	प्रमुख सचिव वित्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	पदेन सदस्य
04	कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रोफेसर श्रेणी से कम का नहीं है ।	पदेन सदस्य प्रो. पियुष त्रिवेदी
05	संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल	पदेन सदस्य डॉ. आशीष डोंगरे
06	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी, अ.भा.तक.शि. प. भोपाल – सदस्य
07	म.प्र. शासन द्वारा नामित उद्योग प्रतिनिधि	——

7

Scanned by CamScanner

08	श्री गो.से. तकनीकी शिक्षा सोसायटी, इंदौर द्वारा नामित तीन सदस्य	(1) जस्टिस पी.डी. मूल्ये – सदस्य (2) डॉ. डी.वी. फाटक – सदस्य (3) श्री अमरसिंह मरकतिया – सदस्य
09	श्री गो.से. चेरिटी ट्रस्ट द्वारा नामित दो सदस्य	1. श्री नंदकुमार सेकसरिया – सदस्य 2. श्री एस.एन. कोहली – सदस्य
10.	शासी निकाय द्वारा सहयोजित एक सदस्य (यू.जी.सी. द्वारा नामित)	—
11	संस्थान के शिक्षकों द्वारा चयनित तीन सदस्य	1.प्रो. एम.एल. जैन, प्राध्यापक – सदस्य 2.डॉ. मिलिन्द दाण्डेकर, एसोसिएट प्राध्यापक सदस्य 3.श्री राजेश धाकड़, सहायक प्राध्यापक – सदस्य
12.	निदेशक, श्री गो.से. प्रौ. एवं वि. संस्थान, इंदौर	प्रो. राकेश सक्सेना – सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्योग प्रतिनिधि नामित किये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक सहयोजित सदस्य नामित किये जाने पर सूचनार्थ शासी निकाय में प्रस्तुत किया जावे।

मद क्र.121–02: संस्थान की प्रबन्धन समिति , वित्त समिति एवं परिवेदना समिति के पुर्नगठन का अनुमोदन ।

संस्थान की नवगठित शासी निकाय के अनुसार दिनांक 28/12/2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसकी उपसमितियों – प्रबंधन समिति, वित्त समिति, अपील एण्ड ग्रीवेंस कमेटी के पुनर्गठन का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(अ) संस्थान की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन ।

संस्थान की प्रबंधन समिति की संरचना के अनुसार निम्नानुसार प्रबन्ध समिति के पुनगर्ठन का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

1.	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन*	–	अध्यक्ष
2.	संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश	–	सदस्य
3.	शासी निकाय में शिक्षक वर्ग से नामित एक सदस्य (डॉ. एम.एल. जैन)	–	सदस्य
4.	शासी निकाय के दो अन्य स्थानीय सदस्य (जस्टिस पी.डी. मूल्ये एवं प्रो. एम.एल. जैन)	–	सदस्य
5.	संस्था के निदेशक	–	सदस्य सचिव

* माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंद्रौर में एसजीएस टेक्नालॉजी सोसायटी एवं शासन के मध्य लंबित याचिका को देखते हुए संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश को उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया था। चूंकि प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

शासन भी शासी निकाय के पदेन सदस्य होते है एवं वरिष्ठता क्रम में संचालक तकनीकी शिक्षा से ऊपर है, अतः यह निर्णय लिया गया कि अब संचालक तकनीकी शिक्षा के स्थान पर प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण के निपटान तक उपाध्यक्ष, शासी निकाय के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(ब) संस्थान की वित्त समिति के गठन की सूचना एवं अनुमोदन ।

संस्थान की स्वायत्ता के चार्टर में दिये गये प्रारूप के अनुसार शासी निकाय का पुनर्गठन किया जाना है। वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल या उनका प्रतिनिधि	–	पदेन अध्यक्ष
2.	संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	–	पदेन सदस्य
3.	ए.आई.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल	–	पदेन सदस्य
4.	शासी निकाय के सदस्य शिक्षक प्रतिनिधियों में से शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक सदस्य (डॉ. एम.एल. जैन)	–	सदस्य
5.	संस्थान के वित्त अधिकारी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
6.	सस्थान के निदेशक	–	पदेन सदस्य सचिव

शासी निकाय के सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में डॉ. एम.एल. जैन के नाम का नामांकन किया गया ।

उपरोक्तानुसार नवगठित वित्त समिति का अनुमोदन किया गया ।

(स) **संस्थान की अपील एवं ग्रीवेंस कमेटी का पुनर्गठन ।**

संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संस्थान से संबंधित विभिन्न परिवेदनाओं के निवारण हेतु संस्थान की एक 'अपील एवं ग्रीवेंस कमेटी' है। इस समिति की संरचना निम्नानुसार है ।

1.	संचालक, तकनीकी शिक्षा, म0प्र0, भोपाल	–	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा नामित वकील या न्यायपालिका का एक सदस्य	–	सदस्य
3.	शासी निकाय द्वारा नामित एक शिक्षक प्रतिनिधि (डॉ. मिलिंद दांडेकर)	–	सदस्य
4.	संस्थान के लीगल कार्यों से संबंधित प्रोफेसर इंचार्ज/ अधिकारी	–	सदस्य सचिव

डा. मिलिंद दांडेकर का नाम शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया तथा नामित वकील या न्यायपालिका के एक सदस्य के रूप में श्री चेतन निगम, 165, जानकी नगर एक्सटेंशन, इंदौर का नामांकन किया गया ।

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार अपील एवं परिवेदना समिति का पुनर्गठन किया गया ।

मद क्र. 121–03: संस्थान के शासी निकाय की 119वीं बैठक दिनांक 25/04/2015 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

शासी निकाय की 119वीं बैठक दिनांक 25/04/2015 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

मद क्र. 121–04: संस्थान के शासी निकाय की 119वीं बैठक दिनांक 25/04/2015 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।

संस्थान के शासी निकाय की 119वीं बैठक दिनांक 25/04/2015 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही को नोट करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1/ मद क्र.119–04 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं । ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए संस्थान द्वारा प्रस्ताव भेजा जावे ।

मद क. 121–07: डॉ. राकेश सक्सेना द्वारा संस्थान के नये निदेशक का पदभार ग्रहण करने की सूचना ।

संस्थान के शासी निकाय की 120वीं बैठक दिनांक 01/10/2015 में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में संस्थान द्वारा संस्थान में नये निदेशक की नियुक्ति हेतु की गई कार्यवाही एवं डॉ. राकेश सक्सेना द्वारा संस्थान के नये निदेशक का पदभार ग्रहण करने की सूचना को नोट किया एवं अनुमोदन किया गया ।

मद क. 121–8: संस्थान निदेशक डॉ. राकेश सक्सेना को प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के पद पर लियन प्रदान करने विषयक ।

डॉ. राकेश सक्सेना को संस्थान में उनके द्वारा पूर्व में धारित पद प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग पर जब तक वे संस्थान में निदेशक के पद पर पदस्थ रहेंगे तब तक लियन मानी जावेगी। तदनुसार शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद क. 121–09: संस्थान में सप्ताह में पांच कार्यदिवसीय प्रणाली (5 Day Week System) लागू करने बाबत ।

मध्यप्रदेश शासन के निर्णयों के संदर्भ में वर्तमान में पांच कार्यदिवसीय प्रणाली लागू न करने का निर्णय लिया गया ।

Scanned by CamScanner

मद क्र. 121–10: संस्थान के शिक्षकों को छठवे वेतन आयोग के अन्तर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना (Career Advancement Scheme) का लाभ देने बाबत ।

संस्थान के शिक्षकों को छठवे वेतन आयोग के अन्तर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना का लाभ देने बाबत निर्णय लिया गया कि छानबीन/चयन समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही करते हुए पात्र शिक्षको को पदोन्नति का लाभ दिया जावे एवं तदनुसार आदेश जारी किया जावे। इसके लिए संस्थान निदेशक को अधिकृत किया गया ।

जिन शिक्षकों को वर्तमान में कैरियर संवर्द्धन योजना के तहत पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है उनके प्रकरणो पर पुनर्विचार करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की नई अधिसूचना के संदर्भ में एवं संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश के मार्गदर्शन में यथाशीघ्र कार्यवाही की जावे एवं पात्र शिक्षकों को उनकी पात्रता अवधि से कैरियर संवर्द्धन योजना का लाभ दिया जावे।

मद क्र. 121–11: संस्थान को कर्मचारियों के लिए प्रचलित समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में ।

संस्थान द्वारा कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश शासन के समयमान वेतनमान आदेशों के सन्दर्भ सभी कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान उनकी पात्रता अवधि से लागू किया गया है। तदनुसार वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ–साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनकी पात्रता अवधि से समयमान वेतनमान देने का अनुमोदन किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यसूची में विभिन्न वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जो समयमान वेतनमान वर्णित है उसका संचालक तकनीकी शिक्षा के मार्गदर्शन में सूक्ष्म परीक्षण शासकीय नियमानुसार कराया जाए एवं तदनुसार संशोधन कर लागू किया जाए। साथ ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में जो भी आदेश जारी किये जाते हैं उन्हें यथास्थिति में लागू किया जाए।

मद क्र.121–12: संस्थान की वित्त समिति की 64वीं बैठक दिनांक 01/04/2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

संस्थान की वित्त समिति की 64वीं बैठक दिनांक 01/04/2016 के कार्यवृत्त एवं सभी मदों पर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष शासी निकाय द्वारा दिये गये अनुमोदन का पुष्टिकरण किया गया। निदेशक द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में पारित बजट में कुछ मदों के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं किया गया है, अतः यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु वित्त समिति की एक पूरक बैठक आगामी कुछ दिनों में आयोजित कर पूरक बजट पारित करवा लिया जावे।

निदेशक द्वारा बताया गया कि संस्थान मे छात्रों के लिए खेलकूद, छात्रावास, पुस्तकालय इत्यादि सुविधाओं का विकास किया गया है जिन पर हो रहे व्ययों को देखते हुए उनके शुल्कों में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित है जिसका अनुमोदन किया गया ।

Scanned by CamScanner

संस्थान के शहर के बीचोबीच में होने एवं आसपास रेल्वे लाईन, बस स्टेंड इत्यादि होने के कारण संस्थान की सुरक्षा को देखते हुए संपूर्ण संस्थान परिसर में केमरे एवं छात्र–छात्राओं के छात्रावास में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का अनुमोदन किया गया ।

चर्चा के दौरान रीजनल कमिश्नर पी.एफ. संगठन एव संस्थान/पी.एफ. ट्रस्ट के मध्य माननीय उच्च न्यायालय मे चले रहे प्रकरण के सम्बन्ध मे जानकारी देते हुए यह बताया गया कि संस्थान का पी.एफ.ट्रस्ट मध्यभारत शासन द्वारा 1964 में जारी अध्यादेश के तहत निर्मित है एवं वर्तमान में चलाया जा रहा है। रीजनल कमिश्नर पी.एफ. ट्रस्ट संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पी.एफ. खाते में जमा राशियों को 1955 के एक्ट के तहत उनके भविष्य निधि संगठन में जमा करने के लिए दबाव बना रहा है जो कि उचित नहीं है। वर्तमान में संस्थान द्वारा संचालित ट्रस्ट सही तरीके से चल रहा है एवं उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है जिसे शासी निकाय ने नोट किया ।

निर्धन छात्रों को संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति तैयार की जावे एवं तदनुसार दिया जावे। इसके लिए निदेशक को को अधिकृत किया गया। अनुमोदन किया गया ।

मद क्र. 121–13: वित्त समिति की 63वीं बैठक में अनुमोनित बजट के अनुसार किये गये कार्यों के लंबित देयकों का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2015–16 में बजट में प्रावधान अनुसार संस्थान द्वारा जो कार्य करवाये थे एवं अब तक उनके देयकों का भुगतान नहीं हुआ है तो ऐसे देयकों के भुगतान हेतु वर्ष 2016–17 के बजट में देयता (liability) दर्शाकर उसका प्रावधान किया जाए एवं सम्बन्धितों को भुगतान किया जाए ।

मद क्र. 121–14: विभागाध्यक्ष एवं डीन्स के कार्यकाल एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

जिन विभागों में वर्तमान में केवल एक ही प्राध्यापक है ऐसे विभागों में वरिष्ठता क्रम में उपाचार्य को रोटेशन के आधार पर विभागाध्यक्ष बनाने की आवश्यकता नहीं है, अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

प्रस्ताव अनुसार वर्तमान में कार्यरत चार डीन्स के अलावा दो नये डीन– डीन (स्टाफ वेलफेयर) एवं शिक्षकों/कर्मचारियों में दक्षता विकास तथा छात्रों के अधिकतम प्लेसमेंट के लिए डीन (स्किल डेवलेपमेंट एण्ड प्लेसमेंट).नियुक्त करने के लिए संस्थान निदेशक को अधिकृत किया गया। डीन स्किल डेवलेपमेंट एण्ड प्लेसमेंट). के अधीनस्थ ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट अधिकारी कार्य करेंगे तथा कार्यों की रिपोर्ट देंगे। इस पर निदेशक को आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया एवं अनुमोदित किया गया ।

Bjay

Scanned by CamScanner

मद क. 121—15: संस्थान केम्पस की सुरक्षा, गार्डनिंग, सफाई, छात्र अनुशासन इत्यादि कार्यो की देखरेख हेतु सेवानिवृत्त मिलीटरी पर्सन को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त करने बाबत ।

संस्थान केम्पस की सुरक्षा, गार्डनिग, सफाई एवं छात्र अनुशासन के कार्यों हेतु प्ररताव अनुसार किसी उपयुक्त व्यक्ति (सेवानिवृत्त मिलीटरी पर्सन को प्राथमिकता देते हुए) को रु.25000/— प्रतिमाह के समेकित वेतनमान में नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया एवं इस हेतु संस्थान निदेशक को अधिकृत किया गया।

मद क्र.121—16: डॉ. (श्रीमती) शिल्पा त्रिपाठी को अनुकम्पा नियुक्ति देने बाबत ।

संस्थान निदेशक द्वारा बताया गया कि संस्थान में हाल ही में 'इनवायोमेंटल इंजीनियरिंग' का विषय बी.ई. प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है एवं संस्थान में एम.टेक. इनवायरोमेंटल इंजीनियरिंग भी संचालित है। अतः डॉ. (श्रीमती) शिल्पा त्रिपाठी की योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है जिसका शासी निकाय ने अनुमोदन प्रदान किया । निर्देशानुसार शासन से इस सम्बन्ध में जानकारी लेकर अनुमोदन करवाया जाये ।

मद क. 121—17: संस्थान में अपशिष्ट निपटान हेतु एक हाइड्रोलिक गार्बेज लाईट व्हीकल क्रय करने बाबत।

संस्थान में अपशिष्ट निपटान हेतु एक हाइड्रोलिक गार्बेज लाईट व्हीकल क्रय करने के प्रस्ताव के स्थान पर यह सुझाव दिया कि इस हेतु नगरपालिक निगम को भुगतान कर उसकी सेवाएं ली जाए तथा संस्थान परिसर की साफ—सफाई का कार्य करवाया जाए।

मद क्र.121—18: संस्थान के छात्रों के लिए दुर्घटना मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करने के सम्बन्ध में ।

संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्रों के लिए एक समान मेडिक्लेम प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रणाली को लागू करने के उपरान्त इसके संचालन में अनेक पेचगदियां है जिसके कारण इसे लागू करना संभव नहीं है, अतः इसके स्थान पर छात्रों से एक निर्धारित राशि शुल्क के रूप में लेकर एक 'कापर्स फण्ड' का निर्माण किया जाए एवं उस फण्ड में से प्रकरणों के गुणावगुण के आधार पर जिन छात्रों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो दी जाए एवं उनके इलाज का खर्चा संस्थान द्वारा वहन किया जाये।

अध्यक्ष की अनुमति से रखे अन्य मद

मद क्रा.121—19—1: संस्थान के पूर्व छात्रों को संस्थान के विकास में जोड़ने बाबत ।

संस्थान के निदेशक द्वारा बताया गया कि संस्थान के छात्र देश—विदेश में फैले हुए हैं तथा उनमें से कई प्रतिष्ठित पद हैं। अतः संस्थान विकास में संस्थान के पूर्व छात्रों का सहयोग लेने एवं संगठित करने के लिए उन्होंने हाल ही में नोयडा एवं पुणे चेप्टर का उद्घाटन किया है एवं उसका भी नाम संस्थान के नाम पर "एसजीएसआयटीएस एलुमिनी चेप्टर" रखा है ।

Scanned by CamScanner

शासी निकाय द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि संस्थान के पूर्व छात्रों से ही पूछा जाए कि संस्थान के विकास के लिए सबसे अच्छा क्या होना चाहिए एवं उसमें उनका क्या सहयोग हो सकता है। इन सब को संस्थान की आवश्यकताओं के संदर्भ में देखना चाहिए। शासी निकाय में उनका भी प्रतिनिधि (निदेशक द्वारा विशेष आमंत्रित के रूप में) रखा जावे । अनुमोदन दिया गया ।

2/ **मद क्रा.121—19—2:** माननीय अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधियों की तरह एक गैर शिक्षक प्रतिनिधि (विशेष आमंत्रित के रूप में) भी निदेशक द्वारा नामांकित होना चाहिए ।

3/ **मद क्रा.121—19—3:** शासी निकाय के शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया कि हाल ही में संस्थान में लेक्चर थियेटर, नया अतिथिगृह, कन्याछात्रावास का निर्माण किया गया है जिसका लोकार्पण माननीय अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा हो, अतः निकट भविष्य में शासी निकाय की आगामी बैठक संस्थान में आयोजित की जाए जिसके लिए उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

4/ **मद क्रा.121—19—4:** श्री गो.से.सेकसरिया टेक्नालॉजीकल सोसायटी एवं शासन के मध्य चल रहे प्रकरण के समाधान हेतु शासी निकाय की 120वीं बैठक में एक समिति का गठन किया गया था तथा समिति ने अपनी अनुशंसा दे दी है । तदनुसार आगे कार्यवाही करना चाहिए जिससे संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सके एवं संस्थान आर्थिक रूप से सक्षम हो सके । संस्थान निदेशक द्वारा इंदौर के अन्य निजी संस्थाओं को शासन द्वारा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिये जाने का भी उल्लेख किया ।

निदेशक को अधिकृत किया जाता है कि सोसायटी की पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों को देखते हुए प्रकरण समाप्त करवाकर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाये ।

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ शासी निकाय की बैठक समाप्त हुई।

(डॉ. राकेश सक्सेना)
सचिव, शासी निकाय
एवं
निदेशक, एसजीएसआयटीएस, इंदौर

(डॉ. आशीष डोंगरे)
संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

(माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता)
अध्यक्ष, शासी निकाय, एसजीएसआयटीएस, इंदौर
एवं मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

(उमा शंकर गुप्ता)
मंत्री
[illegible], तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

बि/जीबी121

14

(14)

Scanned by CamScanner